


07.04.2025:-पत्रावली आज वादी लखवीर सिंह जरिय अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह ओलख द्वारा प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण में आपसी राजीनामा हो गया। वादी व प्रतिवादी आपस में रिस्तेदार है। इसलिए वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते वाद पत्र आज ही पेशी में लिया जाकर विद्वा फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर वादी वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सिजनिक कलक्टर
व्य उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

